प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-342/2024 दिनांक 06.12.2024)
दिनांक-06.12.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

***थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा चोरी के मुकदमे मे वांछित एक नफर अभियुक्त मय चोरी की एक अदद स्कूटी आदि के साथ किया गया गिरफ्तार*-**

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 451/2024 धारा 331(4),305(ए), 317(2),317(4),319(2),350(2),336(3) बीएनएस व मु0अ0सं0 445/2024 धारा 331(4),305(ए), 317(2),317(4),319(2),350(2),336(3) बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त देवेन्द्र भारती पुत्र ध्रुपनरायन भारती साकिन सेन्दुआर टोला झुगहिया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को मय चोरी/नकबजनी से सम्बन्धित विभिन्न 01 जोड़ी कान का झुमका पीली धातु,01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु , 01 अदद हाथ का ब्रेसलेट पीली धातु, 01 जोड़ी इयर रिंग पीली धातु, 01 जोड़ी कान की बाली पीली धातु तथा चोरी की गयी एक अदद स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***पंजीकृत अभियोग*-**

1-मु0अ0सं0 445/2024 धारा 331(4),305(ए),317(2),317(4),319(2),350(2),336(3) बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

2-मु0अ0सं0 451/2024 धारा 305(ए),317(2),317(4),319(2),350(2),336(3) बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

देवेन्द्र भारती पुत्र ध्रुपनरायन भारती साकिन सेन्दुआर टोला झुगहिया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

1-01 जोड़ी कान का झुमका पीली धातु
2-01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु
3-01 अदद हाथ का ब्रेसलेट पीली धातु
4-01 जोड़ी इयर रिंग पीली धातु
5-01 जोड़ी कान की बाली पीली धातु
6-चोरी के जेवरात को बेचकर उससे प्राप्त धन से अर्जित पैसे नकदी 470 रू0/-
7-चोरी की गयी एक अदद स्कूटी एक्टिवा (यू0पी0 43 ए0एफ0 9449) ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम—
1-थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 जुगेश कुमार आनन्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3-प्रशिक्षु उ0नि0 शुभम कुमार भार्गव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4-का0 मारकण्डेय यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा अपहरण के मुकदमें में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को थाना सेवरहीं पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 396/2024 धारा 137(2) बीएनएस थाना सेवरही जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बूनेसी पुत्र जियन निषाद साकिन गौरी श्रीराम नवका टोला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 396/2024 धारा 137(2) बीएनएस थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-
बूनेसी पुत्र जियन निषाद साकिन गौरी श्रीराम नवका टोला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1-थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 साहबलाल यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

3-हे0का0 केशनाथ यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4-म0का0 प्रिती सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

चोरी की घटना का 36 घण्टे के अंदर सफल अनावरण, चोरी गई मोटरसाईकिल के साथ 02 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विगत दिनों थाना जटहां बाजार क्षेत्र में बाईक चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए थाना जटहांबाजार पर दिनांक 04.12.2024 को मु0अ0सं0 237/2024 धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराते हुए अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में घटना के अनावरण हेतु टीमें लगायी गयी थी। जिसके क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा करते हुए 1-तौकिर मियां पुत्र नईम मियां निवासी कुकुरा थाना शिकारपुर जिला पश्चिम चम्पारण(बेतिया) बिहार 2-बबलू कुमार पुत्र भुटेली यादव निवासी मटियरिया वार्ड न0-10 टोला (प्रतापपुर) थाना सेमरा जिला पश्चिम चम्पारण (बेतिया) बिहार को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगणों के पास से चोरी की एक अदद स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल वाहन सं0 UP 57 BD 3787 मय कूटरचित आरसी पेपर व फर्जी मुहर बरामद की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/345(3)/338/336(3)/340(2)/341(1) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***पूछताछ का विवरण*-**
पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त मोटरसाईकिल दिनांक 03.12.2024 को भैरोगंज बाजार थाना जटहां बाजार से चोरी कर इसे बिहार ले जाकर इसका वास्तविक नं0 प्लेट को बदल कर फर्जी नं0 प्लेट लगा दिया। एक कूटरचित डुप्लीकेट आरसी पेपर रजि0 नं0 BR22BC3390 वाहन स्वामी तौकिर मियां के नाम से बना लिया। जिसपर फर्जी मुहर जिला परिवहन पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण, बेतिया का लगा हुआ था ताकि पुलिस चेकिंग के दौरान उक्त फर्जी आरसी पेपर को दिखा कर पुलिस से बच सके तथा उक्त चोरी की मोटरसाईकिल से गांजा/मादक पदार्थ के तस्करी में प्रयोग कर सकें।

पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

मु0अ0सं0 237/2024 धारा 303(2) बीएनएस बढोत्तरी धारा-317(2)/345(3)/338/336(3)/340(2)/341(1) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1-तौकिर मियां पुत्र नईम मियां सा0 कुकुरा थाना शिकारपुर जिला पश्चिम चम्पारण (बेतिया) बिहार
2-बबलू कुमार पुत्र भुटेली यादव सा0 मटियरिया वार्ड न0-10 टोला (प्रतापपुर) थाना सेमरा जिला पश्चिम चम्पारण (बेतिया) बिहार

अभियुक्त तौकिर मियां का आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0-99/2021 धारा 413/414 भादवि व 20(बी)IIA एनडीपीएस एक्ट थाना साठी बेतिया बिहार

बरामदगीः-
1-एक अदद मोटरसाईकिल स्प्लेंडर प्लस (वाहन सं0 UP57BD3787)
2-कूटरचित आरसी पेपर व मुहर

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-
1.थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार वर्मा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
2.उ0नि0 देवव्रत यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
3.उ0नि0 आकाश कुमार ग्वाल थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
4.कां0 सर्वेश कुमार थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
5.कां0 एकरामुद्दीन खान थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
6.कां0 पुष्पेन्द्र यादव थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर
शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 47 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-127 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-**41**, व्यक्ति-141
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी−(कुल-51)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर